

फर्दअहकाम  
(नियम 26)  
अजअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोलायत

मांगेराम

बनाम

महेन्द्रसिंह आदि

किरम मुकदमा :- प्रार्थना पत्र

नं.

सन् 2019

अन्तर्गत धारा :- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1966 की धारा 212 के तहत

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिवियलसजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09-01-2020	<p>आज यह प्रार्थना पत्र श्री राजीव पाण्डे एडवोकेट ने पेश किया। प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरणमे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिकार्ड व शपथ पत्र के आधार पर इकतरफा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम हाडला खवलोतान के खसरा नम्बर 125 में 0.0500 हैक्टर व खसरा नम्बर 126 में 9.400 हैक्टर कुल तादादी 9.4900 हैक्टर भूमि में उसके 1/2 हिस्से की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति अप्रार्थीगण का जवाब आने तक बनाकर रखी जावे।</p> <p>अप्रार्थीगण को इसमें कोई आपत्ति हो तो आगामी पेशी दिनांक 11/04/2019 को इस न्यायालय में अस्सालतन/वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।</p> <p>प्रार्थी वकील ने अप्रार्थीगण के नाम नोटिश की तलवी जरिये रजिस्टर्ड एडी से करवायी जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>खर्चा प्रार्थी वहन करे।</p> <p>पत्रावली आयन्दा दिनांक 13/02/2020 को पेश हो।</p>	

42  
उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत जिला-बीकानेर

13/1/2020  
बकुलाय फरीकेन उपस्थित/आज एस.डी.एम.  
साहब अस्सालत/भरण/अस्य काम में व्यस्त हो  
पत्रावली वास्ते... दिनांक 19/1/2020 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत

19/1/2020  
बकुलाय फरीकेन उपस्थित।

मिशल वास्ते...

दिनांक... को पेश हो

42  
उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत

Mangalam

परकारण के उपरिष्ठ उक्त पर पत्रकी  
 जेही के पी गपी मुक्ति परकारण के मध्य  
 आपसी सहमति से राजकीयता हुकर  
 मूल गावा करिये बिना खारिज हो चुका  
 है। प्रथम पत्र मे उक्त कौड कारकीवाही  
 अपेक्षित नही रही अतः प्रथम द्वारा  
 प्रकृत प्रकृत पर एवं अस्थायी निश्चय  
 आदेश दिनांक 7.1.2020 एतद द्वारा  
 निरस्त किया जाता है प्रथम पत्र  
 परालकी केशव कुमार हुकर हुकर  
 पत्रका शरिख 3472 हो

4  
 उपखण्ड अधिकारी  
 अदालत जिला-बीकानेर